राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) वधियक, 2022 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

20 सतिंबर, 2022 को राजस्थान वधानसभा ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) वधियक, 2022 को ध्वनमित से पारति कर दयि। सहकारति मंत्री आंजना उदयलाल ने वधियक सदन में प्रस्तुत कयि था।

प्रमुख बदिु

- वधियक पर चर्चा के बाद सहकारति मंत्री ने इसके उद्देश्यों व कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संशोधति वधियक में सहकारी समतियों के दक्ष कार्यकरण के लयि लंबी सेवा वाले एवं अनुभवी सदस्यों की भागीदारी सुनश्चिति करने की दृष्टि से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधनियिम, 2001 की धारा 28 की उप धारा (7-क) को हटाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधनियिम, 2001 (2002 का अधनियिम सं. 16) की धारा 28 की वद्यिमान उप-धारा (7-क) यह उपबंध करती थी कि कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नरि्वाचन के लयि पात्र नहीं होगा, यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधनियिम, 2016 (2016 का अधनियिम सं. 11) के प्रारंभ के पश्चात् उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लयि नरि्वाचति या सहयोजति कयि जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है।
- इससे पहले वधियक को सदस्यों द्वारा प्रचारति करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनमित से अस्वीकार कर दयि।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-rajasthan-co-operative-societies-amendment-bill,-2022